

राज्य परियोजना कार्यालय

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) (केंद्रीय विद्यालय तर्ज पर मॉडल स्कूल योजना)

—: आदेश —:

आवक क्र.
दिनांक

393

20/01/10

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्रमांक 3970 / मॉडल स्कूल / स्था. / 2010 :- भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2-11/2009/स्कूल-1, दिनांक 30/10/2009 के माध्यम से प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में 20, केंद्रीय विद्यालय की पर मॉडल स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति परिप्रेक्ष्य में नीचे सूची के कॉलम (2) में दर्शित स्थानों पर नवीन मॉडल स्कूल खोलने की एतद् द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र.	स्वीकृत मॉडल स्कूल का नाम	ग्राम	विकासखण्ड का नाम	जिला का नाम	संचालन हेतु निर्धारित कक्षाएं
1	2	3	4	5	
1	मॉडल स्कूल कोत्री	ग्राम	लोरभी	बिलासपुर	6वीं से 12 वीं
2	मॉडल स्कूल उल्लूर	ग्राम	भोपालपट्टनम्	बीजापुर	6वीं से 12 वीं
3	मॉडल स्कूल चींताकोटा	ग्राम	उसूर	बीजापुर	6वीं से 12 वीं
4	मॉडल स्कूल हितवार	ग्राम	कुआकोण्डा	दत्तेवाड़ा	6वीं से 12 वीं
5	मॉडल स्कूल रोकेल	ग्राम	छिन्दगढ़	दत्तेवाड़ा	6वीं से 12 वीं
6	मॉडल स्कूल जवन्गा	ग्राम	गीदम	दत्तेवाड़ा	6वीं से 12 वीं
7	मॉडल स्कूल मुतुन्द	ग्राम	सुकभा	दत्तेवाड़ा	6वीं से 12 वीं
8	मॉडल स्कूल जांता	ग्राम	बेमेतरा	दुर्ग	6वीं से 12 वीं
9	मॉडल स्कूल धरमजयगढ़	ग्राम	धरमजयगढ़	रायगढ़	6वीं से 12 वीं
10	मॉडल स्कूल जामड़ी	ग्राम	भैयाथान	सरगुजा	6वीं से 12 वीं

मॉडल स्कूल
कोत्री
20/01/10

9

1	2	3	4	5
11	मॉडल स्कूल ग्राम पतरातु	राजपुर	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
12	मॉडल स्कूल ग्राम कान्कनगर	प्रतापपुर	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
13	मॉडल स्कूल ग्राम नर्मदापुर	मैनपाट	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
14	मॉडल स्कूल ग्राम केवड़ी	लखनपुर	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
15	मॉडल स्कूल ग्राम भटको	बतौली	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
16	मॉडल स्कूल ग्राम सेमरा	कुसमी	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
17	मॉडल स्कूल ग्राम कड़की	लुन्डा	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
18	मॉडल स्कूल ग्राम कलामंजन	ओडगी	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
19	मॉडल स्कूल ग्राम भवरमल	रामचंद्रपुर	सरगुजा	6वीं से 12 वीं
20	मॉडल स्कूल ग्राम प्रतापगढ़	सीतापुर	सरगुजा	6वीं से 12 वीं

2/ उपरोक्तानुसार मॉडल स्कूलों के लिए नवीन पदों की स्वीकृति (रोटअप) पृथक से जारी किया जावेगा।

3/ उपरोक्तानुसार स्वीकृत मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक अध्यापन होगा। छात्रों का प्रवेश कक्षा 6 वीं में प्रारंभिक चयन परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं में भी चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा, जिसके संबंध में पृथक से निर्देश जारी किया जावेगा।

4/ उक्त मॉडल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

5/ उक्त शालायें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध होंगी। तदनुसार पठन-पाठन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के आधार पर किया जावेगा।

6/ उक्त शालाओं का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय तर्ज पर मॉडल स्कूल के राज्य कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन छ.ग. रायपुर का होगा। भविष्य में इस व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकेगा।

7/ उक्त शालाओं को आगामी शिक्षा सत्र 2010 (जुलाई 2010) से प्रारंभ किया जावेगा।

8/ शाला प्रारंभ करने के पूर्व सेटअप जारी करने एवं शिक्षक भर्ती का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।



मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन

31/3/10

एवं
संचालक लोक शिक्षण
संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प.क्र.3271/मॉडल स्कूल/स्था./2010 रायपुर, दिनांक 31/03/2010
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सादर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सादर सूचनार्थ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. समस्त संभाग आयुक्त छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. महालेखाकार छ.ग. शासन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
9. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।